

2

टी0ए0 मिस केस सं0 373/2018-19

अभ्युक्ति

दिनांक

आदेश

01 06/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक 1. श्री मोहन दास, पिता- स्व० बेनी दास, 2. सुशील दास, पिता- देवानन्द दास, ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफासिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना-580, खाता नं०-201, प्लॉट नं०-914, अंश रकवा- 0.04½ एकड़ श्री मोहन दास का हिस्सा एवं 0.07½ एकड़ श्री सुशील दास का हिस्सा कुल रकवा 0.12 एकड़ भूमि क्रेता श्री प्रदीप कुमार दास, पिता- स्व० कुसो दास, ग्राम- सिंदरी गौरी, थाना- हाटगम्हारिया, जिला प० सिंहभूम झारखण्ड के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ख) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक उत्तराधिकारी नामांतरण मुकदमा सं० 372(M)/2011-2012 द्वारा नामांतरित है। आवेदक नं० 2 स्वयं खातियानी रैयत है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-319, दिनांक 21.05.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नव-गृह निर्माण हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री प्रदीप कुमार दास, पिता- स्व० कुसो दास, ग्राम- सिंदरी गौरी, थाना- हाटगम्हारिया, जिला प० सिंहभूम के पास में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों पं० सिंहभूम जिले के निवासी हैं। उक्त दोनों पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.80 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक 1. श्री मोहन दास, पिता- स्व० बेनी दास, 2. सुशील दास, पिता- देवानन्द दास, ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफासिल, जिला पं० सिंहभूम ने क्रेता श्री प्रदीप कुमार दास, पिता- स्व० कुसो दास, ग्राम- सिंदरी गौरी, थाना- हाटगम्हारिया, जिला पं० सिंहभूम के पास 17,00,000.00 (सत्रह लाख) रुपये में मौजा- गितिलपी, थाना-580, खाता नं०-201, प्लॉट नं०-914, अंश रकवा- 0.04½ एकड़ श्री मोहन दास का हिस्सा एवं 0.07½ एकड़ श्री सुशील दास का हिस्सा कुल रकवा 0.12 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)( ख) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा